

बिहार विधान सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न

<p>श्रीमती मुन्नी देवी, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक -11.07.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-पुन०-11 के उत्तर के संबंध में</p> <p>क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि</p>	<p>श्रीमती लेशी सिंह, प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना</p>
<p>प्रश्न</p>	<p>उत्तर</p>
<p>(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा में मरे हुए व्यक्ति के परिवार को 24 घंटे के अंदर मुआवजे के रूप में 1 लाख रू० देने का प्रावधान है;</p>	<p>स्वीकारात्मक ।</p>
<p>(2) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत शाहपुर प्रखण्ड के हरिहरपुर पंचायत अन्तर्गत ग्राम देवाईचकुंडी के मास्टर बिन्द की मृत्यु दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को भीषण बाढ़ में डूबने से हो गयी थी, परन्तु अभी तक मृतक के परिवार को मुआवजा नहीं मिला है;</p>	<p>स्वीकारात्मक । चेक संख्या -803639 दिनांक -01.07.2014 द्वारा मृतक मास्टर बिन्द के आश्रित पत्नी मु०-गंगिया कुँअर को उचित पहचान पर 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) रू० का भुगतान कर दिया गया है ।</p>
<p>(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार कबतक उक्त मृतक के परिवार को मुआवजा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?</p>	<p>उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।</p>

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक-04 / वि०स०ता०प्र०-33 / 2014 / / आ०प्र० पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, सचिवालय पटना को उनके ज्ञापांक 1659 दिनांक-05.07.2014 के क्रम में 04 (चार) प्रतियों में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह० / -

(सुनील कुमार)
संयुक्त सचिव

2420 -

ज्ञापांक-04 / वि०स०ता०प्र०-33 / 2014 / आ०प्र० पटना-15, दिनांक-

15/7/14.

प्रतिलिपि-सुश्री कविता कुमारी, आई०टी० मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

15/7/14
संयुक्त सचिव